न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी :– जय प्रकाश (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या–03 / 2019 प्रार्थना पत्र जागीर

जैसराज शर्मा पुत्र स्व0 बिहारीलाल शर्मा जाति हिन्दु ब्राहमण निवासी मुकाम सोला पोस्ट गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पुजारी मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी सोला पोस्ट सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

हर आम व खास

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री अमरचन्द गोयल

निर्णय **दिनांक:– 20.12.2019**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी सोला पोस्ट गाडोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित है, जिनके पुजारी श्री बलदेवदास पुत्र जमनादास रहने से उनके द्वारा सेवा पूजा की जाती रही है, जिनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके शिष्य प्रार्थी के पिता श्री बिहारीलाल द्वारा सेवा पुजा की जाती रही है। बलदेवदास की मृत्यु होने पर प्रार्थी के पिता श्री बिहारीलाल उनके चेला/शिष्य होने से एवं श्री बिहारीलाल की मृत्यु हो जाने के बाद उनके उताराधिकारी के रूप में मंदिर मन्दिर श्री रघुनाथजी सोला पोस्ट गाडोदा के पुजारी के रूप में प्रार्थी आसीन होकर सेवा पूजा करता आ रहा है। मन्दिर श्री रघुनाथजी सोला पोस्ट गाडोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के पुजारी श्री बलदेवदास की मृत्यु होने पर प्रार्थी के पिता श्री बिहारीलाल उनके चेला/शिष्य होने से उनके उताराधिकारी के रूप में मंदिर मन्दिर श्री रघुनाथजी सोला पोस्ट गाडोदा के पुजारी के रूप में प्रार्थी आसीन होकर सेवा पूजा करते रहे, जिनकी भी दिनांक 02.07.1989 को मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी उनका पुत्र एवं उताराधिकारी हाने से उनके शिष्य एवं उताराधिकारी के रूप में मन्दिर श्री रघुनाथजी सोला पोस्ट गाडोदा के पुजारी के रूप में प्रार्थी आसीन होकर सेवा पूजा करता आ रहा है। आयुक्त दवेस्थान राजस्थान उदयपुर के Annuity रजिस्टर जिला सीकर के सोला पोस्ट गाडोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में मन्दिर श्रीरघुनाथजी सोला का नाम दर्ज होकर पुजारी के रूप में श्री बलदेवदास पुत्र जमनादास दर्ज है, उक्त श्री बलदेवदास की मृत्यु हो जाने तथा इनके शिष्य श्री बिहारीलालजी की भी दिनांक 02.07.1989 को मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी श्री बलदेवदास के स्थान पर स्वयं का नाम अंकित कराने का अधिकारी होन से आवेदन स्वीकार किया जाकर श्री बलदेवदास के स्थान पर प्रार्थी का नाम अंकित कर प्रपत्र 12(A) जारी किया जाना उचित एवं आवश्यक है। मन्दिर श्रीरघुनाथजी सोला की ओर से श्री बलेदवदास जी प्राप्त करने के अधिकारी होने से तथा उक्त श्री बलेदवदास तथा उनके शिष्य श्री बिहारीलाल जी की मृत्यु हो जाने से उताराधिकारी के रूप में पुजारी प्रार्थी रहने के कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रपत्र12(A) जारी कर स्वीकृत बकाया Annuity (वार्षिक वृत्ती) राशि प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्रीरघुनाथजी सोला पोस्ट गाडोदा के पुजारी श्री बलदेवदास जी के स्थान पर प्रार्थी का नाम अंकित कर तद्नुसार Form

12A जारी किया जाकर स्वीकृत बकाया Annuity (वार्षिक वृत्ती) राशि प्रार्थी को दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उज्रदारी नोटिस एक माह का जारी किया गया। नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया तथा प्रार्थी की ओर से वकील श्री अमरचन्द गोयल ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रपत्र 12बी की फोटो प्रति पेश की, जिसके क्लेम नम्बर 40 एलजेआर में मन्दिर श्री रूघनाथजी पुजारी श्री बलदेवदास पुत्र जमनदास स्वामी अंकित है। प्रार्थी ने स्वयं का आधार कार्ड की फोटो प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत गाड़ोदा द्वारा श्री रघुनाथजी का मन्दिर सोला में पूजा पाठ का कार्य श्री जैसराज पुत्र बिहारीलाल शर्मा द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र की प्रति, बिहारीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की गई। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट ली गई। बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पूर्व पुजारी बलदेवदास की मृत्यु हो जाने पर उसके शिष्य बिहारीलाल की मृत्यु दिनांक 02.07.1989 को हो चुकी है। बलदेवदास के नाम से मन्दिर श्री रूघनाथजी का पुजारी घोषित किया हुआ है तथा प्रपत्र 12बी क्लेम नम्बर 40 एलजेआर राशि 46.60/– रूपये का जारी किया हुआ है। उक्त समस्त राशि मन्दिर श्री रूघनाथजी के नाम से स्वीकृत है। स्व0 बलदेवदास की मृत्यु के पश्चात बिहारीलाल द्वारा मन्दिर की सेवा पूजा करने पर उनकी मृत्यु दिनांक 02.07.1989 को हो चुकी है। उज्रदारी नोटिस जारी किये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति नही आई है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.08.2019 के अनुसार ग्राम गाड़ोदा में स्थित मन्दिर श्री रघुनाथजी के पूर्व पुजारी बिहारीलाल की मृत्यु दिनांक 02.07.1989 को हो चुकी है एवं उसके पश्चात् मन्दिर की व्यवस्था, सेवा–पूजा व देखरेख का कार्य प्रार्थी जैसराज ही कर रहे है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री रघुनाथजी के पुजारी श्री बलदेवदास की मृत्यु एवं श्री बिहारीलाल की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी जैसराज शर्मा पुत्र स्व0 बिहारीलाल शर्मा निवासी गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ के नाम से संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देव स्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/12/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर